E/14448

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन	:	94,06,971.00 रूपये।
स्टाम्प	:	6,58,500.00 रूपये।

CHALLAN NO M.171552 / 24.XII.2010

मैं कि धर्मसिंह पुत्र श्री सरपत उर्फ सम्पत निवासीग्राम कचैड़ा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

एवम -

मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्ड्स कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्ड्स कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

धर्मसिंह

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

बैनामा 94,86,971.00
निबन्धन शुल्क –10,000/ -रूपये उजरत 20/--रूपये
योग- 10,020/–रूपये शब्द लगभग 600

श्री/श्रीमती वर्मी सिंह पेशा खेती

पुत्र/पत्नी स्व० सरपत उर्फ सम्पत

निवासी ग्राम वामैडा वाक्नवाद न०ग०.

ने कार्यालय सबरजिस्ट्रार दादरी जिला गौ0बुद्धनगर

मे आज दिनाँक 24 12–2010 को समय 4 व 5 के

मध्य प्रस्तुत किया है।

सबरजिस्ट्रार दादरी
24 12–2010

इस लेखपत्र का सम्पादन एवं इसमे लिखित जरे बदल मु0 94,86,971/- प्रलेखानुसार पाकर उक्त श्री ......वर्मी सिंह ......

प्रथमपक्ष ने स्वीकार किया व तकमील से श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक निवासी--33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वितीय पक्ष ने भी स्वीकार किया

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कचैड़ा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 268 के खसरा नं0 619 रकबा 1.6820 हैक्टे0 में से 0.3020 है0 व खाता संख्या 106 के खसरा सं0 620 रकबा 0.6040 है0 का 1/6 भाग अर्थात रकबा 0.100666 है0 व खाता नं0 411 के खसरा नं0 669 रकबा 0.8710 है0 मे से 0.2530 है0 इस प्रकार कुल रकबा 0.655666 है0 प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409–1414 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा मैं विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/ रूपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/– प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 94,06,971/– रूपये (चौरानवें लाख 6 हजार नौ सौ इकहत्तर रूपये मात्र) मैं तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्त व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय मैं स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(I) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

जिनकी पहचान श्री राजू नागर पेशा व्यापार

पुत्र श्री रणवीर सिंह

निवासी— ग्राम [illegible]

व श्री अमित पेशा व्यापार

पुत्र श्री राज कुमार

निवासी— उक्त

ने की

सबरजिस्ट्रार दादरी
24—12—2010

उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

साक्षी श्री प्रतीक

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदावय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नही है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखत भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगें।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त भूमि खाता नं0 **268** के खसरा नं0 **619** रकबा **1.6820** हैक्टे0 में से **0.3020 है0** व खाता संख्या **106** के खसरा सं0 **620** रकबा **0.6040** है0 का 1/6 भाग अर्थात रकबा 0.100666 है0 व खाता नं0 411 के खसरा नं0 669 रकबा 0.8710 है0 में से 0.2530 है0 इस प्रकार कुल रकबा 0.655666 है0 स्थित ग्राम कचैड़ा वारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी,शुद्व बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली–खारिजी, काश्त भराई, दर

धर्मेन्द्र

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

सत्यमेव जयते

किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख मैं विक्रय धनराशी अंकन **94,06,971/–** रूपये (चौरानवें लाख छ हजार नौ सौ इकहत्तर रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन **47,03,485.50/–**(सेंतालीस लाख तीन हजार चार सौ पिचासी रूपये पचास पैसे मात्र) होते है के एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नही रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग मैं लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात मे कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वंय दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि मैं निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पडा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन्न व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये मार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई **0.655668** हैक्टेयर, खाता नं0 **268** के खसरा नं0 **619मि0 व खाता सं0 106 के खसरा सं0 620 व खाता नं0 411 के खसरा नं0 669** स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

सत्यमेव जयते

(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि० गाजियाबाद .शाखा गाजियाबाद का चैक नंबर 367855...... अंकन 94,06,971/–(चौरानवें लाख छ हजार नौ सौ इकहत्तर रूपये मात्र) तथा अंकन दिनांकित 24.12.10 फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1

गवाह नं0 2

तहरीरी दिनांक: 24–12–2010 मसौदा तेजेन्द सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

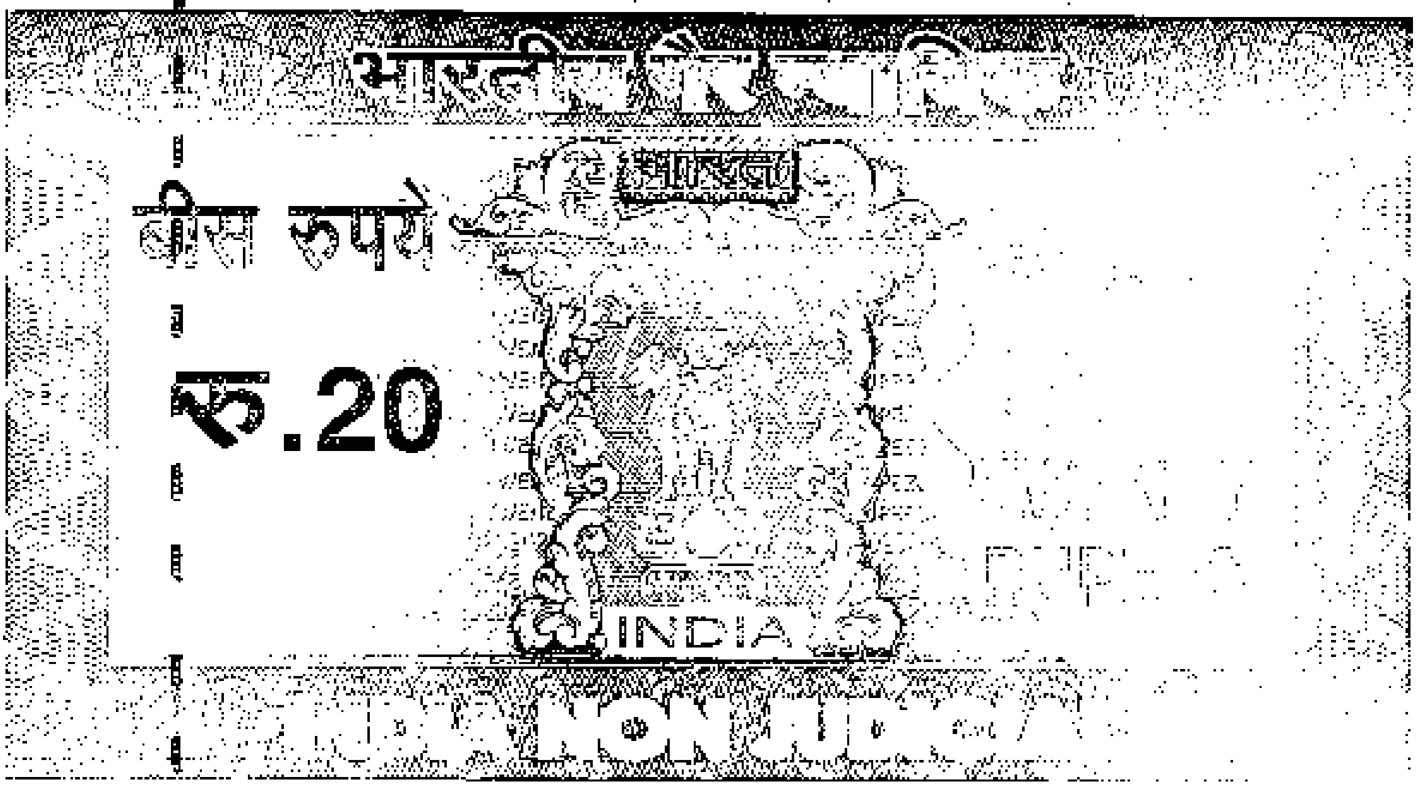

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 12AA 153008

Stamp duty paid in cash certificate in favour of–M/S UPPAL CHADDHA HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW FRIENDS COLONY , NEW DELHI

In pursuance of the order of the collector
NO…memo….dated.24.12.10 passed under
Section 10-A of the stamp act.It is certified that an
amount of Rs.6,58,500-00(Inwords Rs.Six lacs fifty eight thousand-five hundred,only)
has been paid in cash as stamp duty in respect
of this instrument in the State bank of India/
Treasury/Sub treasury …NOIDA
By Challan No…N./.7/.553.……… dated..24.12.10
A copy of which is annexed herwwith.

Dated 24.12.2010

Senior Treasury Officer
Gautam Budh Nagar

नं. ... रु. ... में शामिल किया गया।

23 DEC 2010

रोकड़िया

★ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ★

M/s Uppal Chaddha Hitech Developers Pvt. Ltd. Noida

आज दिनांक 24/12/10 को फोटोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 3071 के पृष्ठ 395/398 पर क्रम संख्या 14448 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबंधक

दादरी

दादरी

उत्तर प्रदेश

(64)

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

उ० प्र० स० ग्रा० विकास बैंक

दादरी

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 106, 268 खसरा नम्बर 619, 620 611 669 रकबा ________ स्थित ग्राम छपरौला - आरसा बाद परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गौ० बु० नगर ________ । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

च्यौमसिंह S/o सरुपसिंह

नि० छपरौला

No Dues

20.1.11

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

पी० एन० बी०

छपरौला

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 106, 268 खसरा नम्बर 619, 620, 667 रकबा ________ स्थित ग्राम कचैड़ा [illegible] परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गौ० बु० नगर ______। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै० उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा० लि० को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

प्रेमसिंह S/o [illegible]

नि० कचैड़ा

[signature]

पंजाब नेशनल बैंक
Punjab National Bank
Chhaprola, G.B. Nagar

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020116093 ग्राम का नाम : कचैडा वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या इसका संदर्भ उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	
श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।									
00411	मुसे	रुमाल	नि. ग्राम	पू.1402 पू.1402 पू.1402	567ग 592 669	0.1260 0.4940 0.8710		आदेशानुसार श्रीमान ना.तह. दि.न.305/12.8.01 को आदेश हुआकि खाता सं.403 के खसरा सं.669/ 0.871है. मा.24.00 मे से 0.253 है.भूमि से विक्रेता मुसे पुत्र रुमाल ग्रामवासी का नाम खारिज करके क्रेता मनोज पुत्र लख्पत सिंह ग्रामवासी का नाम दर्ज है क्रय बैनामा अंकन 225000रू.दर्ज हो। ह.लै.13.9.01 पी.एन.बी ग्रेटर नोएडा के बन्धक पत्र दि 15.11.03 के अनुसार श्री मुसे पुत्र रुमाल नि.ग्राम खाता नं.411 रकबा 1.238 का पूर्ण भाग अंकन 40,000/- [illegible] गया ह.लै.अ.25.11.03 1412फ शाखा प्रब.पी.एन.बी.ग्रेटर नोएडा के दि.30.11.04 को श्री मुसे पुत्र रुमाल नि.ग्राम ने बैंक ऋण चुकता कर दिया है। इसी कारण खाता स 411 के ख.स.567/0.12 व 592/0.494,669मि /0.618 कुल 3 किता 1.238 है.भूमि को बन्धक मुक्त किया जाता है ह.लै.अ. 10.12.04 1412फ. आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मि.न.49/29.12.04 को आदेश हुआकि खाता सं.411 के खसरा सं.669मि /0.618 मा.21.50 [illegible] विक्रेता मुसे पुत्र रुमाल ग्रामवासी का नाम खारिज करके क्रेता होशियार सिंह पुत्र लख्पत सिंह ग्रामवासी का नाम बजरिये बैनामा 9,00,000/-रू. दर्ज हो ह.लै.अ.31.12.04 आदेशानुसार श्रीमान रा.नि.महोदय [illegible]	

12/04/2010

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	वार्षिक लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश या उसका संदर्भ संख्या तथा दिनांक सहित आदेश देने वाले अधिकारी का पद
1	2			3	4	5	6	7-12
								को आदेश हुआ कि खा.स. 411 से [illegible] पर [illegible], [illegible] पुत्र [illegible] का नाम खारिज दर्ज हो। ह.र.का. 6-11-2009 — आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक नि.न.558/26-12-09 को आदेश हुआ कि खा.स. 411 के ख.न. 592/0.4940 हे.में से 0.0412हे. से विक्रेता विनोद पुत्र भूले नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता [illegible] नागर पुत्र महावीर सिंह नागर नि.ग्राम [illegible] का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 29-12-2009 --- आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक नि.न. [illegible]-3-10 को आदेश हुआ कि खा.स. 411 के [illegible] है के अपने 1/5 भाग में से अपना शेष सम्पूर्ण 0.0560 से विक्रेता [illegible] पुत्र भूले नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता रणवीर सिंह पुत्र [illegible] नि.ग्राम का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.र.का. 6-3-2010 —
				कुल गाटे : 3	कुल क्षे.:	1.4910	81.65	

हस्ताक्षर

उद्धरण खतौनी

120201160093 ग्राम का नाम : कचैड़ा वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 भाग : 1

खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या समक संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
2			3	4	5	6	7-12	13
भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
प्रेमराज सिंह	सरपत सिंह	नि. ग्राम	पू.1402	111	0.7490		न्यायालय उपजिलाधिकारी दादरी के पत्रांक 907, रीडर-एस.डी.एम.दादरी/09 दिनांक 13-4-09 वाद सं. 4/08 धारा 178 ज.वि.अधि. प्रेमराज सिंह बनाम धर्मसिंह आदि उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दि. 13-4-09 के अनुसार लेखपाल द्वारा प्रस्तुत कुर्रे दि. 16-3-09 की पुष्टि की जाती है ।	
धर्मसिंह	सरपत सिंह	नि. ग्राम	पू.1402	606	0.0160		कुर्रा न.-1: प्रतिवादी सं. 1 धर्मसिंह पुत्र सरपत उर्फ सम्पत सिंह नि.ग्राम के खा.स. 268 के ख.न. 111/0.7480, 619/1.6820हे. कुल 2 किता/ 2.4310हे. में से 111मि उ. रकबा 0.2496हे. व 619मि उ. रकबा 0.5607हे. कुल रकबा 0.8103हे. मा. 41.80/-रु लाल।	
राजपाल सिंह	सरपत सिंह	नि. ग्राम	पू.1402	609	0.1200		कुर्रा न.-2: प्रतिवादी सं. 2 राजपाल पुत्र सरपत उर्फ सम्पत सिंह नि.ग्राम का खा.स. 268 के ख.न. 111/0.7480, 619/1.6820हे. कुल 2 किता/2.4310हे. में से 111मि उ.न. रकबा 0.2497हे. व 619मि उ.द रकबा 0.5606हे. कुल रकबा 0.8103हे. मा. 41.80/-रु हरा।	
			पू.1402	619	1.6820		कुर्रा न.-3: वादी प्रेमराज पुत्र सरपत उर्फ सम्पत सिंह नि.ग्राम के खा.स. 268 के ख.न. 111/0.7480, 619/1.6820हे. कुल 2 किता/2.4310हे. में से 111मि द. रकबा 0.2497हे व 619मि उ.म. रकबा 0.5607हे. कुल रकबा 0.8104हे. मा. 41.85/-रु नीला दर्ज हो। ह.रा.नि.रा.क. 30-4-2009	

गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 भाग : 1 तहसील : दादरी

खातेदार का नाम			भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
	2		3	4	5	6	7-12	13
				कुल गाटे : 4	कुल क्षे : 2.5670	132.45		

उद्धरण खतौनी

: 71020116093 ग्राम का नाम : कचैडा वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 32157 भाग : 1

खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
2			3	4	5	6	7-12	13
भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
धतरु	चोदल	नि. ग्राम	पृ.1402	543	0.0760			
चन्दर	बोदल	नि. ग्राम	पृ.1402	620	0.6040		1412क.आदेशानुसार श्रीमान ना.तहसीलदार मि.न. 112/6.7.04 का आदेश हुआ कि खाता सं.106 के खसरा सं.620/0.604 पर.32.10 के बकदर भाग से चन्दर पुत्र चोदल ग्रामवासी का नाम खारिज करके क्रेता धर्मसिंह,प्रमसिंह,रामपाल सिंह पुत्रगण सम्यत सिंह ग्रामवासी का नाम बजरिये बैनामा अंकन 4,23,000/-दर्ज हो। ह.लो.3.8.04 ह.आर.के 3.8.04	
			कुल गाटे : 2	कुल क्षे :	0.6800	34.95		

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 442358

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... स्थान गाजियाबाद में श्री......................
.... पुत्र/पति......................
निवासी ग्राम.................................... परगना.................... तहसील ....
व जिला ....

प्रथम पक्ष

एवं

मै0 उप्पल चढ्ढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा .... पुत्र......................

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम.................................... परगना व तहसील..................
जिला............................ में स्थित भूमि खाता सं0........................ खसरा सं...........
.... कुल रकबा .... हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नही है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या कोई केस नही चल रहा है।

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक .... को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं0 1 के पुस्तक सं0................ पृष्ठ.................... पर क्रम सं0 .... पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरुप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु0................/- द्वारा चैक नं. .... दिनांक .... बैंक..................... द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरुप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन........................ रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लाट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि........................... दोनों पक्षों को मान्य है।

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नही रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नही होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष क होंगें। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु..................... द्वारा चैक सं0......................... दिनांक....................... बैंक .... से प्राप्त कर लिये है।

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरुप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नही होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.